161

संख्या-817/XVIII(II)/2012-03(24)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 9 अगस्त, 2012

विषयः-दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु ग्राम देहराखास, परगना केन्द्र, तहसील व जनपद देहरादून स्थित 4.6860 है0 भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-461/डी0एल0आर0सी0-2012 XII-A-21 दिनांक-09.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु ग्राम देहराखास, परगना केन्द्र, तहसील व जनपद देहरादून में आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता संख्या-127 जिस पर नैनीराम पुत्र शोभाराम का नाम श्रेणी-10 अराजी, जिस पर गैर दाखिलकार काबिज हों, के रूप में 9.7450 है0 भूमि, राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, एवं वर्तमान में इस भूमि पर नैनीराम पुत्र शोभाराम को कोई भी व्यक्ति काबिज नहीं है, इस भूमि के स्वामी खेवट्दार के रूप में जरे इन्तजाम म्यूनिसिपल बोर्ड का नाम दर्ज है, उक्त भूमि में से 4.6860 है0 भूमि, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत भूमि के प्रबन्धन के रूप में म्यूनिसिपल बोर्ड का नाम दर्ज होने के कारण इस सम्बन्ध में नगर निगम से भी सम्बन्धित विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन/सहमति प्राप्त कर लिया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति भी शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–\ 817 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल पौड़ी।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।